WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092023-248688
CG-DL-E-13092023-248688

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2023/भाद्र 22, 1945
No. 526] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2023/BHADRA 22, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

सं. 03/2023- स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. 667(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, दिनांक 1 अक्तूबर, 2023 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से पोस्त भूस, जिससे लांसिंग करने पर रस न निकले, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है:-

1. खेती करने का स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

2. खेती हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित पोस्त भूस, जिससे लांसिंग करने पर रस न निकले, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होंगे-

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(i) 5 वर्ष के लिए जारी किए गए लाइसेंस के आधार पर वे किसान, जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23 के दौरान पोस्त भूस, जिसके लांसिंग करने पर रस न निकले, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होंने मापन केंद्र पर पोस्त भूस को जमा भी करा दिया था और जिन्हें इस अफीम नीति के पैरा 5(ii) में उल्लिखित किसी भी आधार पर अफीम पोस्त की खेती से रोका नहीं गया है।

(ii) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23 में मार्फीन की औसत उपज (MQY-M) 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई हो:

(iii) वे किसान जोकि लांसिंग के बाद अफीम के गोंद को प्राप्त करने के लिये अफीम पोस्त की खेती करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने के पात्र हों, बशर्ते कि वे स्वेच्छा से यह विकल्प लें कि वे ऐसे पोस्त भूस के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती करेंगे जिसकी लांसिंग से उसका रस न निकलता हो:

(iv) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अपनी सम्पूर्ण खड़ी पोस्त फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की निगरानी में जुताई करा दी हो:

(v) वे किसान जोकि फसल वर्ष 2022-23 में लाइसेन्स पाने के पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर पाये या जिन्हें लाइसेन्स जारी नहीं किया जा सका, या जिन्होने लाइसेन्स जारी होने के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की थी:

(vi) वे किसान जिनके लाइसेन्स को फसल वर्ष 1999-2000 से 2022-23 के दौरान इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उन्होंने घटिया किस्म की अफीम जमा कराई थी लेकिन नीमच या गाजीपुर के सरकारी अफीम क्षारोद कारख़ाना में किए गए परीक्षण से पता चला कि उनमें मॉर्फीन का अवयव 6% से अधिक था:

(vii) ऐसे किसान जिनके लाइसेन्स को फसल वर्ष 2022-23 के दौरान रद्द करने के खिलाफ अपील को निपटाने की अंतिम तिथि के बाद स्वीकार किया गया है।

(viii) मृतक किसान के कानूनी उत्तराधिकारियों में से ऐसा कोई भी उत्तराधिकारी जिसे विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो और वह फसल वर्ष 1999-2000 से लाइसेन्स का पात्र हो, लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर पायेगा यदि उसके यहाँ कानूनी उत्तराधिकारी को लेकर कोई विवाद चल रहा हो:

(ix) ऐसे किसान जिनका एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत किसी सक्षम अदालत में - किसी अपराध के लिए आरोप / आरोपों के आधार पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया हो और सक्षम अदालत द्वारा उक्त मामले / मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया हो व दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक ये अंतिम आदेश हो चुके हों, तब ऐसे किसान भी अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्य सभी शर्तों की पूर्ति करते हों तथा न्यायालय अदालत के निर्णय व इस आशय के घोषणा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

(x) वे किसान जो फसल वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म नंबर 1 (नियम 7 देखें) के कॉलम संख्या 11 में मृत पात्र किसान द्वारा नामांकित है।

(xi) जिन किसानों का फसल वर्ष 1998-99 से लेकर फसल वर्ष 2022-23 तक लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, बशर्ते कि उन्होंने औसत अफीम/मॉर्फिन को जमा किया हो, जिसका कुल औसत मार्फिन की औसत उपज (लाइसेंस के लिए निर्धारित अगले फसल वर्ष) के कुल 100 प्रतिशत के बराबर/समतुल्य या उससे अधिक हो। उनके पिछले पांच निविदा वर्षों में से तीन उच्चतम उपज वाले निविदा वर्षों में से कोई भी, जिसमें अंतिम निविदा वर्ष (लाइसेंस रद्द करने के वर्ष के ठीक पहले) भी शामिल है। कानूनी उत्तराधिकारी को लाइसेंस के हस्तांतरण के मामले में, मृतक कृषकों द्वारा दी गई औसत निविदा को निविदा की गई अफीम की कुल औसत गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

(xii) वे किसान जो 1998-1999 के बाद से किसी भी फसल वर्ष में अफीम पोस्त की खेती के लिए पात्र थे या फसल वर्ष के बाद घोषित छूट के अनुसार पात्र पाए गए, लेकिन किसी भी कारण से स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त नहीं किया, या जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, किसी भी कारण से वास्तव में अफ़ीम पोस्त की खेती नहीं की या अगले वर्ष/वर्षों की अफ़ीम लाइसेंसिंग नीति/निर्देशों के कारण डिफ़ॉल्ट रूप से अपात्र हो गए हों।

(xiii) जिन किसानों ने 1998-99 से 2002-03 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और नीचे बताए अनुसार अफीम गोंद की औसत उपज प्राप्त की थी:-

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

फसल वर्ष	कम एमक्यूवाई पर लाइसेंस रद्द करने का वर्ष	मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए	उत्तर प्रदेश के लिए
1998-1999	1999-2000	39 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 40 से कम	39 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 40 से कम
1999-2000	2000-2001	47 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 48 से कम	39 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 40 से कम
2000-2001	2001-2002	49 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 50 से कम	41 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 42 से कम
2001-2002	2002-2003	49 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 50 से कम	42 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 43 से कम
2002-2003	2003-2004	50 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 51 से कम	44 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 45 से कम

नोट:- किसानों की श्रेणी में उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी आते हैं।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:-

(i) उसने फसल वर्ष 2022-23 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% 'क्षम्य क्षेत्र' से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो|

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं सिद्ध किया गया हो|

(iii) फसल वर्ष 2022-23 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो|

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेन्स दिया जायेगा।

(ii) यदि किसान चाहें तो उनको दूसरों के स्वामित्व वाले भूखंडो को पट्टे पर लेने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि उतनी जमीन पर खेती कर सकें जितने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

5. लाइसेन्स की अवधि

(i) इस नीति के 2(i) के अंतर्गत पात्र कृषकों को छोड़कर पोस्त भूस जिसके लांसिंग से रस न निकलता हो, के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती के लिये लाइसेन्स इसके जारी होने से पाँच फसल वर्षों के लिये जारी किया जाएगा अर्थात इसे फसल वर्ष 2023-24 से जारी किया जाएगा और फसल वर्ष 2027-28 तक वैध रहेगा।

(ii) लाइसेन्स अवैध हो जाएगा यदि :-

क. किसान अवैध क्रियाकलापों में लिप्त पाया जाता है,

ख. एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसान को आरोप-पत्र दे दिया जाता है,

ग. उसने अफीम पोस्त की खेती के बारे में जारी किए गए विभागीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया हो।

घ. स्वेच्छा से लाइसेंस को सीबीएन को वापस कर दिया हो।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

6. पूर्व चेतावनी

(i) वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई अफीम-भूसे में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2023-24 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।

(ii) जिन किसानों ने लगातार तीन फसल वर्षों तक अपनी फसल की जोताई करा दी हो, अगले फसल वर्ष के लिये लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे।

(iii) अगले वर्ष यानी 2024-25 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होने के लिए फसल वर्ष 2023-24 के दौरान भूसे के साथ अन-लांस्ड पोस्त कैप्सूल की प्रति हेक्टेयर 700 किलोग्राम औसत उपज हासिल की जानी चाहिए।

7. माफी योग्य सीमाः

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

8. विविध

(i) जो किसान वर्ष 2023-24 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भू-खंड पर अथवा दूसरों से पट्टे पर लिये गये भू-खंड पर करता है, भू-खंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा।

(ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।

(iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।

(iv) जिन किसानों ने अपने उत्पादित अन-लांस्ड पोस्ता कैप्सूल को भूसे के साथ सरकार को सौंप दिया है, उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूसे के साथ अन-लांस्ड पोस्त कैप्सूल की प्रति किलोग्राम कीमत के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(v) ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी हैं तो उन्हें अपने आवास पर अन-लांस्ड पोस्त कैप्सूल को इकटट्ठा करने की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना-जाना होता हो।

(vi) यदि अफीम की नीति 2023-24 के अंग्रेजी और हिन्दी के संस्करणों में परस्पर विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिमान्य होगा।

[फा. सं. एन-14011/1/2023-एनसी-1]

राम लखन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 13th September 2023

No 03/2023-NARCOTICS CONTROL-I

G.S.R. 667(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below for cultivation of opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2023 and ending with the 30th day of September, 2024.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a license to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing:

i. Cultivators who had cultivated opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing during the crop year 2022-23 on the basis of licenses issued to them for five years, and tendered poppy straw at weighment centre and have not been de barred from cultivation of opium poppy on any of the ground mentioned in Para 5(ii) of this opium policy.

ii. Cultivators who have tendered an average yield of Morphine (MQY-M) 3.0 kg per hectare and above but less than 4.2 kg per hectare from the opium poppy cultivated for obtaining opium gum through lancing in crop year 2022-23.

iii. Cultivators who are eligible for license under opium poppy cultivation for obtaining opium gum after lancing, if they opt voluntarily to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing.

iv. Cultivators who ploughed back their entire poppy crop cultivated during the crop year 2021-22 and 2022-23 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard.

v. Cultivators who were eligible for a license for the crop year 2022-23, but did not obtained/issued a license for any reason, or who after having obtained a license, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.

vi. Cultivators who were de-licensed during crop year 1999-2000 to 2022-23 on the grounds of tendering inferior opium but their morphine content was found more than 6% in the test results of the Government Opium Alkaloid Works at Neemuch or Ghazipur.

vii. Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2022-23.

viii. One of the legal heirs of deceased cultivators, as determined by the District Opium Officer after following the due process, who were eligible for license since crop year 1999-2000 however could not obtain license due to dispute in deciding legal heir.

ix. Cultivators who were de-licensed on the ground of charge/charges in any competent court for any offence under NDPS Act, 1985 and the Rules made there under provided that they have been acquitted by the competent court of Law in said case/ cases and such order/orders of acquittal has become final as on 31st July 2023, subject to production of certified copy of judgment and declaration to this effect.

x. Cultivator who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2022-23.

xi. Cultivators who were de-licensed in the crop year since 1998-99 to crop year 2022-23 provided they have tendered average opium/Morphine having total average equal/equivalent to or more than 100 percent the total of MQY (fixed for licensing in the next crop year) any of three highest yielding tendered years out of their last five tendering years including the last tendered year (immediately before year of de licensing). In case of transfer of license to legal heir, average tendering by deceased cultivators would be taken into account for computation of total of averages of opium tendered.

xii. Cultivators who were eligible for cultivation of opium poppy in any crop year since 1998-1999 or found to be eligible as per relaxations announced after crop year, but did not voluntarily obtain a license for any reason, or who after having obtained a license, did not actually cultivate opium poppy due to any reason or became ineligible by default due to Opium licensing policy/Instructions of the following year/years.

xiii. Cultivators who had cultivated opium poppy during 1998-99 to 2002-03 and tendered average yield of opium gum as indicated below:-

Crop year	Year of de-licensed on low MQY	For M.P. and Rajasthan	For U.P
1998-1999	1999-2000	More than or equal to 39 but less than 40	More than or equal to 39 but less than 40
1999-2000	2000-2001	More than or equal to 47 but less than 48	More than or equal to 39 but less than 40

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

2000-2001	2001-2002	More than or equal to 49 but less than 50	More than or equal to 41 but less than 42
2001-2002	2002-2003	More than or equal to 49 but less than 50	More than or equal to 42 but less than 43
2002-2003	2003-2004	More than or equal to 50 but less than 51	More than or equal to 44 but less than 45

Note:- Cultivators include their legal Heirs also

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

i. He/She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2022-23 beyond the 5% 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.

ii. He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made there under.

iii. He/she did not during the crop year 2022-23 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. Maximum Area

i. All eligible cultivators will be issued license of 0.10 Hectares each.

ii. Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Period of license

i. Except for the cultivators eligible under 2(i) of this policy License to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing will be issued for five crop years from the issuance i.e. license issued to cultivators for crop year 2023-24 will remain effective till crop year 2027-28.

ii. License will remain in force until cultivator

a. is found involved in illicit activities,

b. is charge sheeted under NDPS act,

c. violate the departmental instructions related to opium poppy cultivation.

d. voluntarily surrender license before CBN

6. Forewarning

i. Morphine content of Un-lanced Poppy Straw tendered during 2023-24 may become the basis for payment for the crop year 2023-24, if the Government decides to do so in this regard.

ii. Cultivators who fully ploughed back their entire poppy crop for consecutive three crop years would not be entitled for license in the next crop year.

iii. An average yield on 700 kg per hectare of un-lanced poppy capsule alongwith straw should be achieved during the crop year 2023-24 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2024-25.

7. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation maybe condoned.

8. Miscellaneous

i. Any cultivator who cultivates opium poppy during 2023-24 in his own land or in the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.

ii. These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is deemed proper so to do in

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.

iii. The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research or for obtaining poppy straw that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year if otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.

iv. Payment to the cultivators who have tendered their produced un-lanced poppy capsule alongwith straw to the government shall be made in accordance with the price per Kgs. of un-lanced poppy capsule alongwith straw as determined by the Government of India.

v. In respect of cultivators having opium cultivation license in a particular village but are having residence in adjacent village, such cultivators may be allowed to store Un-lanced Poppy capsule along with straw in their residence, provided that there is continuous human settlement between such villages.

vi. If there is difference in any para of Hindi version of opium policy 2023-24 then English version of same shall be followed.

[F. No. N-14011/1/2023-NC-1]

RAM LAKHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.